



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1404]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2015/आषाढ़ 10, 1937

No. 1404]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2015/ASHADHA 10, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2015

का.आ. 1785(अ)—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचनाओं द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपे हैं;

रा रा संख्या	सेक्शन	खण्ड कि.मी. से कि.मी. तक	का.आ.संख्या	तारीख
47	तमिलनाडु/केरल सीमा से कोच्चि तक	332.600—349.000	का. आ. सं. 465(अ)	26.04.2002
47	वितिला—अरूर	349.000—358.750	का. आ. सं.1291(अ)	11.11.2003

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुल्क नियम 1997 के यथा संशोधित शुल्क नियम 2008 के सक्रांतिकाल के अधीन भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1098, तारीख 24.04.2015 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पहले रा-47) के 342.000 कि.मी. से 358.750 कि.मी. तक (इडापल्ली—वितिला—अरूर सेक्शन) चार लेन वाले सेक्शन के उपयोग के लिए यात्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था।

और यतः, प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पहले रा-47) पर 342.000 कि.मी. से 358.750 कि.मी. तक, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर इडापल्ली—वितिला—अरूर सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 26.02.2015 को प्रस्तुत की गई बोलियों के लिए मैसर्स कोचि अरूर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्वा प्वाइंट, ओल्ड ए.बी.रोड उमरिया, महु—453446, मध्य प्रदेश, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 28 अप्रैल, 2015 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16

दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 तथा सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं तारीख 24.04.2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1098 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर दी गई हैं। या करने से लोप करा दी गई हैं, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातयात का दबाव, प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क की निवल लम्बाई 15.113 कि.मी. तथा संरचना की समकक्ष लम्बाई 16.370 कि.मी. (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना 1.637 कि.मी. लम्बाई) के लिए उक्त खण्ड के चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त करार में यथा-विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है।

सारणी 1

वाहन का प्रकार (1)	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में) (2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर उपर्युक्त सारणी 1 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कोचि जिले में कुमबलम गांव के पास रारा-66 (पहले रारा-47) का 356.500 कि.मी.	15.113 (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर)

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु *संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
कोचि जिले में कुमबलम गांव के पास रारा-66 (पहले का रारा-47) का 356.500 कि.मी.	1.637*	16.370

* 60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्नप्रकार है:-

क्रम संख्या	ब्यौरा	निम्नलिखित कि.मी. पर चैनेज	60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना (मीटर में)
1.	आर ओ बी	347.472	360.000
2.	बड़ा पुल	349.880	79.100
3.	बड़ा पुल	352.368	79.100
4.	बड़ा पुल	355.438	216.000
5.	बड़ा पुल	357.325	902.800
	कुल		1637.000

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015-16 के लिए मासिक पास की दर 230.00/- रूपए (दो सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा ।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क की वास्तविक राशि में वृद्धि किसी भी हालत में इससे ठीक पहले के वर्ष में लागू शुल्क के 25% से अधिक नहीं होगी ।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इसके पश्चात् इसमें उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार के संशोधन की तारीख के 6 (छह) मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा ।

11.. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से परियोजना की वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत 154.99 करोड़ रूपए है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के रियायतग्राही द्वारा टोल का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838 (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे बोली की नियत तारीख तक आगे और संशोधित किया था के अधीन लागू दरों पर किया जाएगा। पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद के दिन से वसूल की जाने वाली टोल की दरों को घटाकर वसूल की जा रही दरों का 40% कर दिया जाएगा ।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/759/सीओ/15-16/जीसी कोचीन (342.00 - 358.75)ओएमटी

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2015

S.O. 1785(E).— Whereas, by notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the following stretches of National highways in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

NH No.	Section	Stretch from km to km	S.O. No.	Dated
47	Tamil Nadu/ Kerala Border to Kochi	332.600–349.000	S.O. 465 (E)	26.04.2002
47	Vytilla – Aror	349.000–358.750	S.O. 1291 (E)	11.11.2003

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956) read with the Rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification no. S.O. 1098 dated 24.04.2015 of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for use of four lane section from km 342.000 to km 358.750 (Edapally – Vytilla - Aroor Section) of National Highway No. 66 (formerly as NH-47) in the State of Kerala under transition from Fee Rules 1997 to Fee Rules 2008 as amended.

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on April 28, 2015 (hereinafter referred to as “said agreement”) with M/s Kochi Aroor Tollways Private Limited, having registered office at Aqua Point, Old A.B. Road Umaria, Mhow-453446, Madhya Pradesh, India (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), for the bids submitted on 26.02.2015 for the Operation & Maintenance of Edapally – Vytilla – Aroor section from km 342.000 to km 358.750 on National Highway No. 66 (formerly as NH-47) in the State of Kerala (hereinafter referred to as the “said section”) on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014 & G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014 (hereinafter referred to as the “said Rules”) and in supersession of the notification number S.O. 1098 (E) dated 24.04.2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four or more lane of the said section having net road length of 15.113 km and for 16.370 km equivalent length of structure (having 1.637 km of structure length of more than 60 m length) at the rates specified in columns (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as “base rate”) on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as per the said agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20

Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza, at the base rates specified in Table 1 above, for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
km 356.500 of NH-66 (formerly as NH-47), near village Kumbalam in Kochi District	15.113 (Excluding length of structures >60m)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)
km 356.500 of NH-66 (formerly as NH-47), near village Kumbalam in Kochi District	1.637*	16.370

* The details of structure having length > 60m is as under:-

S.No.	Particulars	Chainage at Km	Length of structure > 60 m (in m)
1	ROB	347.472	360.000
2	Major Bridge	349.880	79.100
3	Major Bridge	352.368	79.100
4	Major Bridge	355.438	216.000
5	Major Bridge	357.325	902.800
	Total		1637.000

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the Toll Plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll Collecting agency, equal to 10 times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.
9. The increase in the actual amount of user fee to be charged from the mechanical vehicles shall in no case be more than 25% of the fee applicable in the immediately preceding year.
10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published provided, that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of fee.
11. The Capital Cost of the Project to be recovered from the date of COD is Rs. 154.99 Crore. From the Commercial Operations Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and further amended till bid due date. After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of the rate being charged.

[F. No. NHAI/13013/759/CO/15-16/GC Cochin (342.00 – 358.75) OMT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.